

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक- जी ३९६९/सी-३/एन.ओ.सी.-नोडल/2022,

दिनांक- १२/१२/२०२२

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की "सौर ऊर्जा नीति-2022" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या जी 26144/सी-३/एन.ओ.सी.-नोडल/2018, दिनांक-19.01.2018 का अतिकरण कर यह आदेश दिया जाता है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "सौर ऊर्जा नीति-2022" के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड में कार्यालय ज्ञाप संख्या-G 02164/37/ARN/97, दिनांक-03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भाँति बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है-

1. "सौर ऊर्जा नीति-2022" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) माना जायेगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. "सौर ऊर्जा नीति-2022" के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऑनलाइन उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या-G 02164/37/ARN/97, दिनांक-03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

पृ० संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव

61c Jg 78